



पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड  
Power Grid Corporation of India Limited  
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी  
Central Public Information Officer under the RTI Act, 2005  
केन्द्रीय कार्यालय, 'सौदामिनी', प्लाट नं.2, सेक्टर-29, गुडगांव, हरियाणा-122001  
Corporate Centre, 'Saudamini', Plot No. 2, Sector-29, Gurgaon, Haryana-122001



CIN :L40101DL1989GOI038121

दिनांक: 27 April, 2023

PGCIL/R/E/23/00119

Ms Shikha,  
32, HEWO Apartment, sector-16A, Faridabad, -121002 Haryana

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जानकारी।

महोदय / महोदया,

कृपया आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 30 March, 2023 को प्राप्त अपने आर.टी.आई. अनुरोध का संदर्भ लें।

उपरोक्त पत्र में वांछित जानकारी अनुलग्नक-। में संलग्न है।

यदि आप केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर से संतुष्ट न हों तो, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के उत्तर की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर पहले अपील प्राधिकारी के सम्मुख अपील की जा सकती है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 के तहत केंद्रीय कार्यालय, गुडगांव में अपील प्राधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

श्री बी. अनंत शर्मा  
कार्यपालक निदेशक (केंद्रीय आयोजना एवं सी.एस.) एवं अपील प्राधिकारी  
केंद्रीय कार्यालय, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,  
सौदामिनी, प्लॉट नंबर-2, सेक्टर-29, गुडगांव-122001, हरियाणा।  
ईमेल आईडी: [appellate.cc@powergrid.co.in](mailto:appellate.cc@powergrid.co.in)  
फोन नंबर: 0124-2571960

धन्यवाद,

भवदीय,

*f. विधि*  
*27/04/2023*

(ए. जगन्नाथ राव)

मुख्य महाप्रबंधक (केंद्रीय आयोजना) एवं

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

Email ID: [cpio.cc@powergrid.co.in](mailto:cpio.cc@powergrid.co.in)

अनुलग्नका-।

Sub: Reply to RTI Request of Ms Shikha, Faridabad, Haryana

(RTN Regn.No. PGCIL/R/E/23/00119)

Sl. No.	Information sought:	Reply:
1.	Kindly furnish: The relevant document in respect of constitution of UTTAM AWARD.	The information pertains to reward & recognition scheme, which is a strategic HR Policy document and hence, cannot be provided as per clause 8 (1) (d) of the RTI Act, 2005.
2.	Certified copy of note sheet/committee report since proposal to finalisation of UTTAM AWARD policy document.	The reward & recognition scheme was formulated as per the directions contained in the DPE OM F. No. 16(13)/2011-GM dtd. 16.01.2019, which is a publicly available document.
3.	Whether any weightage have been defined for AAR to an UTTAM AWARDEE.	No weightage has been defined in AAR to an UTTAM AWARDEE.

\*\*\*\*\*

Ashwic  
27/04/2023